परिशिष्ट-अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2042

द्वारा माननीय विधायक - श्री आर.डी. प्रजापति

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छतरपुर के पत्र क्रमांक 3842 दिनांक 09.02.2016 के अनुसार चंदला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेसर्स हिलवेज कंसट्रक्शन कंपनी ऋषिकेश के द्वारा चंदला सरवई गौरिहार चन्द्रपुरा यू.पी. बार्डर मार्ग का निर्माण कार्य दिनांक 28.04.2015 को पूर्ण किया गया है।

रेत का अवैध उत्खनन का प्रकरण मेसर्स हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी ऋषिकेश एवं अन्य के द्वारा संज्ञान में आने पर खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन का प्रकरण बनाया जाकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 247(7) के तहत रूपए 75,00,000/- अर्थदण्ड प्रस्तावित कर अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के न्यायालय में निराकरण हेतु भेजा गया है। इस तरह खनिज विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। प्रकरण में कार्यवाही प्रचलन में है।

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, छतरपुर के पत्र क्रमांक 3842 दिनांक 09.02.2016 के अनुसार प्रत्येक रनिंग बिल से उपयोग की गई खनिज की रायल्टी निरंतर काटी जाकर शासन मद में व्हाउचर क्रमांक 56-डी दिनांक 09.02.2016 से राशि 2,74,86,825/- जमा कराई गई है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संबंधित कंपनी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई है व अवैध खनन का प्रकरण सक्षम राजस्व न्यायालय में दर्ज भी कराया गया है। ऐसी स्थिति में अब शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संचालक

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

D:\2016\MISC\VIDHANSABHA\FEB - APRIL 2016\VIDHANSABHA-1.docx